संख्या 1070 /XI/2020/56(60)2019

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 21 जुलाई, 2020

विषयः– **मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (MBADP) के दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से राज्य के 05 जनपदों के 09 विकासखण्डों में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) संचालित किया जा रहा है। राज्य की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त जनपदों/विकासखण्डों में अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों से 50 किमी0 तक कतिपय अतिरिक्त योजनाओं/कार्यों को सम्मिलित/विस्तारित करते हुए राज्य सेक्टर की **"मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना"** के दिशा–निर्देश एतद्द्वारा संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (MBADP) सम्बन्धी दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या /XI/2020/56(60)2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
10. परियोजना प्रबन्धन अधिकारी, एस0पी0एम0यू0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के दिशा–निर्देश

ग्राम्य विकास विभाग

उत्तराखण्ड।

शासनादेश संख्या /XI/2020/56(60)2019, दिनांक जुलाई, 2020 का संलग्नक

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के दिशा–निर्देश

1. योजना की पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पांच जनपदों के 09 विकासखण्डों कमशः जनपद चमोली के जोशीमठ, जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी, जनपद उधमसिंहनगर के खटीमा, जनपद चम्पावत के चम्पावत तथा लोहाघाट तथा जनपद पिथौरागढ के धारचूला, मुन्स्यारी, कनालीछीना तथा मूनाकोट जो कि सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है, में पलायन रोकने के उद्देश्य से इन विकासखण्डों के निवासियों को सामुदायिक/समग्र विकास आधारित आजीविका सृजन, स्वरोजगार हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का कियान्वयन तथा मूल्य संर्वधन, विपणन आदि आवश्यक सतत् आजीविका के संसाधन एवं सुविधायें ससमय उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से राज्य के पांच जनपदों के 09 विकासखण्डों में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यकम (BADP) का कियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 0–10 किमी (अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे प्रथम गांव को शून्य किमी0 मानते हुये) पर अवस्थित गांवो को ही मूलभूत सुविधाओं से युक्त करने का प्रावधान है साथ ही वहां के निवासियों को स्वरोजगार हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण तथा आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है।

विशिष्ट परिस्थितियों में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यकम (BADP) के तहत अधिकतम 50 किमी तक के गांवों को कुछ महत्वपूर्ण घटकों हेतु आच्छादित किये जाने की ब्यवस्था भी की गई है किन्तु सर्वप्रथम 0–10 किमी तक के गांवों को विकास कार्यो के संतृप्तीकरण उपरांत ही 10–20, 20–30, 30–40 तथा 40–50 किमी को योजना के तहत लिये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार वर्तमान में 05 जनपदों के 09 सीमान्त विकासखंडों में 10 किमी से अधिक दूरी पर अवस्थित गावों में भी पलायन रोकने हेतु नवीन राज्य पोषित योजना प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता महसूस हुई।

2. योजना का उद्देश्य–

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 09 सीमान्त विकासखंडों में आवासित परिवारों को सतत् आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुये उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन करना ताकि सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोका जा सके एवं रिवर्स पलायन को बढावा दिया जा सकें।

इस योजना के तहत इन 09 सीमान्त विकास खण्डों में गावों में कृषि/बागवानी, पशुपालन आधारित सेक्टरों में आजीविका विकास, ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना, स्वरोजगार संबंधी कौशल विकास, विशेष आजीविका विकास परियोजनायें, नवाचार योजनायें, मॉडल गांवों का विकास आदि घटको में इस योजना के तहत अनुमन्य कार्यो के अनुसार किया जायेगा। समस्त योजनायें सामुदायिक विकास की होगी सामान्यतः कोई भी व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को इस योजना से प्रोत्साहित नही किया जायेगा। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु एम0जी0एन0आर0ई0जी0एस0 से परिवारों को युगपितीकरण के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकता है। यद्यपि अति

महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रकृति की योजनाओं पर इस मार्गनिर्देश के बिन्दु सं0 3.18 में उल्लिखित नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

3. **मार्गदर्शक सिद्धान्त (Guiding Principle):—**

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बी0ए0डी0पी0 के माध्यम सीमान्त जनपदों के 09 विकासखंडों में अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए प्रथम गांव को शून्य मानते हुये 0—50 किमी दूरी तक अवस्थित गांवों हेतु मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना लागू होगी। यद्यपि सीमान्त क्षेत्र 0—10 किमी0 की परिधि में अवस्थित विकास कार्य हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार की बी0ए0डी0पी0 योजना में अनुमन्य कार्यों से इतर गतिविधियों को ही सम्मिलित किया जायेगा। इस योजना के तहत अनुमन्य कार्यो का विवरण इस योजना के मार्गनिर्देश के पैरा सं0 09 में उल्लिखित है।

3.1 ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सीमान्त विकास योजना का विभिन्न स्तर (राज्य/जनपद/विकासखंड) पर कार्यान्वयन मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था जैसा कि केन्द्र पोषित बी0ए0डी0पी0 हेतु निर्धारित है के अनुसार ही किया जायेगा। राज्य स्तर पर भी केन्द्रपोषित सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के साथ—साथ परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्य किया जायेगा। एस0पी0एम0यू0 द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनरेगा तथा अन्य सम्बन्धित विभागों (Line departments) के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु अन्य विभागीय योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण तथा युगपतिकरण (Convergence & Dovetailing) किये जाने के प्रयास भी किये जायेंगे ताकि किये जाने वाले कार्यो में द्विधाभाव (Duplicity) न हो। मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन तृणमूल स्तर(Grassroot level) पर पूर्णरुप से संबंधित विभागो/स्वयं सहायता समूहों/स्वयं सहायता समूह फेडरेशन/ग्रामीण युवाओं के समूहों/स्वायत्त परिषदों/अन्य स्थानीय निकायों/परिषदों/सरकारी उपक्रमों/सरकारी संस्थाओं/संस्थानो आदि द्वारा (Public Participation के माध्यम से किया जायेगा।

3.2 इस योजना के मार्गनिर्देशानुसार सम्बन्धित रेखीय विभागों/राज्य सरकार के संस्थानों/निगम/ परिषद/बोर्ड/सामुदायिक संगठनों के माध्यम से प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं के उचित प्रस्ताव सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को प्रेषित किये जायेगें, जिसे जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग कर चयनित योजनाओं को अन्तिम अनुमोदन हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किया जायेगा, जिसका परीक्षण परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास द्वारा किया जायेगा तथा प्रस्तावों पर अंतिम अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित एस0एल0एस0सी0 द्वारा दिया जायेगा। अंतिम अनुमोदन हेतु प्रस्तावित योजनाओं का जनपदवार प्रस्तुतिकरण संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा एस0एल0एस0सी0 के सम्मुख दिया जायेगा।

3.3 राज्य स्तरीय स्कीनिंग कमेटी निम्नानुसार होगीः—

- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास— उपाध्यक्ष
- प्रमुख सचिव/सचिव , नियोजन — सदस्य
- प्रमुख सचिव/सचिव , गृह — सदस्य
- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त — सदस्य
- प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन — सदस्य
- प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि — सदस्य
- प्रमुख सचिव/सचिव,पी0डब्लू0डी0 — सदस्य
- प्रमुख सचिव/सचिव (लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग)— सदस्य
- प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान — सदस्य
- प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा/पंचायती राज — सदस्य
- प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य — सदस्य
- प्रमुख सचिव/सचिव, कौशल विकास — सदस्य
- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी — सदस्य
- परियोजना समन्वयक/ अपर सचिव, ग्राम्य विकास — सदस्यसचिव
- विशेष आमंत्रित सदस्य — आवश्यकतानुसार

3.4 जिला स्तरीय स्कीनिंग कमेटी निम्नानुसार होगीः—

- जिलाधिकारी — अध्यक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी — उपाध्यक्ष
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी — सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता /नोडल अभियन्ता, लो.नि.वि. — सदस्य
- मुख्य कृषि अधिकारी, — सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता/नोडल अभियन्ता ऊर्जा — सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता पेयजल — सदस्य
- जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य
- परियोजना अधिकारी, उरेडा — सदस्य
- जिला पंचायत राज अधिकारी — सदस्य
- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 — सदस्य सचिवृ
- विशेष आमंत्रित सदस्य — आवश्यकतानुसार

3.5 राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में बी0ए0डी0पी0 हेतु राज्य स्तरीय Empowered कमेटी गठित की गयी है जिसमें समस्त रेखीय विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिव सदस्य है। उक्त कमेटी के सम्मुख योजनाओं का प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत कर योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस कमेटी के सदस्यों (विभिन्न विभागों से नामित अधिकारियों) द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/परियोजना उनके विभागीय योजनाओं से आच्छादित की जा सकती है या नही, अथवा इन योजनाओ/परियोजनाओं को संबंधित विभागीय योजनाओं के साथ युगपितिकरण/केन्द्राभिसरण किया जा सकता है। यद्यपि जनपदों द्वारा ऐसी येाजनाओं की संस्तुति/प्रस्तावित नही की जानी चाहिये जो अन्य योजनाओं से सहायतित/आच्छादित हो सकती हों, तथापि केन्द्राभिसरण/ युगपितिकरण हेतु योजनाओ पर विचार किया जा सकता है।

3.6 सीमान्त विकास खण्डों के गांवों में आजीविका विकास के दृष्टिगत मूलभूत सामाजिक तथा भौतिक अवस्थापना सुविधाओं/अन्य आवश्यक सुविधाओं के मौजूदा ढ़ाचे के अन्तराल के आंकलन हेतु एक आधारभूत सर्वेक्षण किया जायेगा। जिससे चयनित विकास खण्डों के गांवों में आवासित जन मानस के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु तदानुसार बृहद कार्ययोजना तैयार हो सकेगी एवं भविष्य मे आवश्यकतानुरूप विकास हेतु विभिन्न रेखीय विभागों तथा ग्राम्य विकास विभाग की अन्य केन्द्र तथा राज्य पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन/ केन्द्राभिसरण तथा युगपितिकरण मे भी मदद करेगा ।

3.7 प्रत्येक जनपद द्वारा क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण तथा सफलता की कहानियों/अभिनव प्रयास संक्षिप्त नोट तथा फोटोग्राफ सहित राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

3.8 इस योजना के कियान्यवन तथा अनुश्रवण हेतु सूचना प्रबंधन तंत्र विकसित किया जायेगा जिस पर योजना की प्रगति संबंधी जानकारी नियमित अपडेट किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। ताकि इस योजना की अद्यतन प्रगति आनलाइन प्राप्त की जा सके।

3.9 योजना कियान्वयन की समय–सीमा– योजना कियान्वयन हेतु विगत वर्ष से पहले के वर्ष में स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत उपयोग की जायेगी, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग वित्तीय वर्ष 2022–23 के 31 मार्च तक की जायेगी।

3.10 नोडल विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल स्वीकृत योजना का अधिकतम 1 प्रतिशत धनराशि का उपयोग राज्य स्तर पर एस0पी0एम0यू0 के प्रशासनिक कार्य हेतु किया जायेगा। इस मद से किये जाने वाले अनुमन्य कार्य निम्नानुसार होगें–

3.10.1 योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के प्रभावी मूल्यांकन/मध्यावधि मूल्यांकन/तृपक्षीय मूल्यांकन (Third Party Evaluation)/विभागीय मूल्यांकन तथा अनुश्रवण।

3.10.2 योजना के कियान्वयन हेतु व्यावसायिक सेवाओ तथा प्रशासनिक मद पर।

3.10.3 प्रचार–प्रसार, अभिलेखीकरण, इस योजना में लगे कार्मिकों के वेतन/ मानदेय के साथ–साथ प्रशिक्षण पर, अध्ययन भ्रमण, बैठक/कार्यशाला आयोजन, कार्यालय /प्रशासकीय ब्यय के साथ–साथ इस योजना के परिप्रेक्ष्य योजना (Prespective Plan) तथा प्रारम्भिक कार्ययोजना (Initial Action Plan) तैयार करने में।

3.11 स्वीकृति उपरांत प्रत्येक जनपद को कुल आवंटित धनराशि का अधिकतम 01 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक कार्यो हेतु जनपद तथा संबंधित विकासखंड द्वारा किया जा सकेगा। प्रशासनिक मद में मात्राकृत धनराशि का प्रयोग, राज्य की यंग प्रोफेशनल पालिसी के तहत यंग प्रोफेशनल की तैनाती पर उनके मानदेय, इस कार्यकम के उपयोग हेतु स्टेशनरी एवं इस योजना के कार्यों के जनपद स्तरीय मूल्यांकन /अनुश्रवण मे ही ब्यय किया जा सकेगा। केन्द्र पोषित बी0ए0डी0पी0 के प्रशासनिक मद का उपयोग भी कन्वजेंस हेतु नियमानुसार किया जा सकता है।

3.12 इस योजना की अधिकतम 2% धनराशि अध्यक्ष एस0एल0ई0सी0 के निवर्तन पर रखी जायेगी जो कि उनके स्वविवेकानुसार इन सीमान्त जनपदों के विकास कार्यो पर नियमानुसार ब्यय की जा सकेगी। यदि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक उक्त धनराशि का उपयोग नही किया जाता तो ऐसी स्थिति में यह धनराशि विकास खंडों को स्वीकृत अनुमन्य कार्यो के कियान्वयन हेतु अवमुक्त कर दी जायेगी।

3.13 इस योजना के वार्षिक आवंटन का अधिकतम 1 प्रतिशत की धनराशि उपयोग ग्रामीण उत्पादों के मूल्य संवर्धन, स्थानीय शिल्प के विकास तथा विभिन्न रोजगारोपरक नवीन तथा अभिनव प्रयासों हेतु शोध एवं विकास पर किया जायेगा जो कि राज्य स्तरीय ऐसेन्जी के खाते में ही रहेगी । यदि उक्त धनराशि का उपयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक नही किया जाता तो ऐसी स्थिति में यह धनराशि विकास खंडों को स्वीकृत अनुमन्य कार्यो के कियान्वयन हेतु अवमुक्त कर दी जायेगी।

3.14 आजीविका विकास हेतु सामुदायिक अवस्थापना/परिसंपतियों के सृजन से संबंधित प्रस्तावों के संबंध जनपद स्तर पर जिला अधिकारी द्वारा प्रस्तावित कार्यो से पूर्व प्रस्तावित परिसंपति के प्रचालन,रखरखाव, उपयोग के संबंध में संबद्ध उपयोगकर्ता सामुदायिक संगठन आदि से स्पष्ट बचनबद्धता ली जानी चाहिये ताकि सृजित परिसंपतियों के पूर्णतः उपयोग किये जाने की जबाबदेही सुनिश्चित रहे।

3.15 केन्द्र अथवा राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं जिनमे राज्य सरकार का अंश समाहित हो, पर राज्यांश के रूप में इस योजना का उपयोग नही किया जायेगा ।

3.16 शतप्रतिशत केन्द्रपोषित योजनाओं के साथ इस योजना की योजना का उपयोग नही किया जायेगा।

3.17 इस योजना के उपयोग के नियमों /मार्गदर्शी सिद्धान्तों/ अनुमन्य तथा गैर अनुमन्य कार्यो आदि पर संशोधन, मार्गदर्शी सिद्धान्तों/नियमों आदि मे अवक्रमण/प्रतिस्थापन संबंधी आदि निर्णय इस योजना हेतु राज्य स्तर पर गठित Empowered कमेटी के अनुमोदनोपरांत लिया जायेगा। यदि कोई नीतिगत निर्णय/संशोधन किया जाना नितांत आवश्यक हो तथा इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आहूत करने में समय लग रहा हो, तो ऐसी दशा में नोडल विभाग द्वारा अध्यक्ष इम्पावर्ड कमेटी से पत्रावली पर अनुमोदन लिया जायेगा तथा कमेटी की अग्रिम बैठक में इसका अनुमोदन लिया जायेगा।

3.18 सामान्यतः व्यक्तिगत कार्य को इस योजना से आच्छादन नही किया जायेगा किन्तु पलायन रोकने एवं दूरस्थ गावों में आवासित नागरिकों को आजीविका संसाधनों एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के दृष्टिगत ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कार्यो को अनुमन्य किया जा सकता है जो कि नितांत आवश्यक हो। यद्यपि ऐसे व्यक्तिगत प्रस्तावित कार्यो के मामले में मा0मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

3.19 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 मे दिये गये प्राविधान तथा नियमो के तहत इस योजना से अनुसंशित/स्वीकृत/किये गये कार्यो के बारे मे आम नागरिक को किसी भी घटक/विषय पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अतः इस योजना से हुये कार्यो की समस्त सूचनायें सार्वजनिक की जानी चाहिए।

3.20 योजना से संबंधित सूचना प्रोद्योगिकी कार्य यथा बेब आधारित सूचना/बेब आधारित मूल्यांकन तंत्र विकास व इस हेतु साफ्टवेयर विकास के कार्यो आदि पर।

4. योजना के नियोजन का स्वरूपः–

जनपद स्तर पर योजना का नियोजन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धित जनपदों द्वारा किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जिलाधिकारी का होगा।

5. योजना के क्रियान्वयन में लचीलापन(Flexibility):

5.1 इम्पावर्ड कमेटी द्वारा स्वीकृत की गई कार्ययोजना में यदि बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही हो तो ऐसी दशा में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव को योजना बदलाव के कारणों की तर्कसंगत आख्या एवं संस्तुति सहित ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा जिस पर नोडल विभाग द्वारा अध्यक्ष इम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति संबंधित जनपद को संसूचित की जायेगी।

5.2 राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी मॉडल गांव के विकास हेतु इस योजना के मार्ग निर्देशों में आवश्यकतानुसार शिथिलता प्रदान कर सकती है।

5.3 स्वरोजगार हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों के24 कियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम NSQF (National Skill Qualification Framework) स्तर के ही अनुमन्य होगें।

6. <u>वित्तीय प्रवाह</u> **(Fund flow)** :–

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में योजनान्तर्गत सम्बन्धित जनपद को आवंटन की सूचना प्रेषित की जायेगी तथा आवंटन के अनुरूप ही जनपद द्वारा वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जायेगी। वार्षिक कार्ययोजनाओं को जनपद स्तर से विधिवत अनुमोदित कर निर्धारित प्रपत्र में एस0पी0एम0यू0 ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। जिस पर राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदनोपरांत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तदानुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। धनराशि की अवमुक्ति दो किस्तों मे की जायेगी। प्रारम्भिक वर्ष के उपरांत आगामी वर्ष के लिये धनराशि की अवमुक्ति अनुमोदित योजनाओं पर हुये ब्यय की पुष्टि होने के आधार पर किया जायेगा। योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिए आवंटित की गई धनराशि का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रुप में अवमुक्त की जायेगी तथा कुल अवमुक्त धनराशि का 80 प्रतिशत व्यय होने के उपरांत ही अगली किस्त संबंधित जनपद को अवमुक्त की जायेगी। किसी भी स्तर पर धनराशि का जमाव (parking) पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। वित्तीय अवमुक्ति हेतु नोडल विभाग धनराशि के समुचित तथा सुव्यवस्थित उपयोग हेतु जनपदों को सुसंगत दिशा निर्देश समय–2 पर पृथक से जारी कर सकता है। इस हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन आवश्यक होगा।

7. **योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण** :–

7.1 योजना क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग होगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में योजना की केन्द्रपोषित बी0ए0डी0पी0 हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी। इस समिति के सदस्य संयोजक प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी होंगें। जनपद स्तर पर योजना का नियोजन कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का सम्पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर केन्द्रपोषित बी0ए0डी0पी0 हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा। योजना के कियान्वयन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन किया जायेगा।

7.2 योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक की 05 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र (consolidated Utilization Certificate) सामान्य वित्तीय नियम (GFR -19A) के प्रारूप पर राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगा।

7.3 कार्य की गुणवत्ता एवं इससे संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र फीड बैक प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक उपयुक्त सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली (Social audit System) के माध्यम से कार्यो का मूल्यांकन किया जायेगा।इस हेतु राज्य में गठित USAATA के माध्यम से किया जायेगा।

7.4 राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन तथा मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा समय–समय पर जिलाधिकारियों के

साथ इस योजना के तहत हुये कार्यो की वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अथवा बैठक आहूत कर समीक्षा की जायेगी।

7.5 विकास की दृष्टि से ऐसे गांवों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिनमें सामुदायिक संगठन एवं उनके उच्च स्तरीय परिसंघों का निर्माण हो चुका हो।

7.6 योजनान्तर्गत ब्याज एवं बचत मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग एस0एल0ई0सी0 द्वारा अनुमोदित नवीन योजनाओं पर किया जा सकेगा। इस हेतु सम्बन्धित जनपद द्वारा उक्त धनराशि के सापेक्ष नवीन प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

7.7 योजनान्तर्गत एस0एल0ई0सी0 वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी। जिसमें योजनाओं की प्रगति समीक्षा भी की जायेगी।

8. **दिशा निर्देशों का लागू किया जाना–**

8.1 यह दिशा निर्देश तत्काल लागू होगे तथा भविष्य मे दिशा निर्देशों मे यदि अवक्रमण/प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो तो दिशा निर्देशों मे अवक्रमण/प्रतिस्थापन का अधिकार ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड शासन में निहित होगा जो कि इस योजना हेतु गठित राज्य स्तरीय स्कीनिंग कमेटी के अनुमोदनोपरांत यथा आवश्यक संशोधन करेगा तथा समय समय पर योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु पृथक से भी शासनादेश निर्गत किये जा सकेंगे।

8.2 इस योजना के दिशा निर्देशों से संबंधित स्पष्टीकरण अथवा इन दिशा निर्देशों मे दिये गये प्राविधानों की व्याख्या पर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड शासन का निर्णय अंतिम होगा।

09. **अनुमन्य कार्य**–योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

9.1 गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बी0ए0डी0पी0 के माध्यम से सीमान्त जनपदों के 09 विकासखण्डों के अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए प्रथम गांव को शून्य दूरी मानते हुए 0–50 किमी0 दूरी तक अवस्थित गांव हेतु मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य अनुमन्य होंगे जिसमें बी0ए0डी0पी0 के परिशिष्ट–1 में उल्लिखित अनुमन्य कार्य भी सम्मिलित होंगे :–

I. स्थानीय युवाओं का कौशल विकास
II. सामुदायिक संगठनों यथा एस0एच0जी0/उत्पादक समूह(पी0जी0)/वी0पी0जी0/एल0सी0/वी0ओ0, सी0एल0एफ0 आदि हेतु स्थायी आजीविका सृजन के कियाकलाप।
III. अति आवश्यक सामुदायिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास
IV. आजीविका विकास हेतु तकनीकी हस्तान्तरण संबंधी कियाकलाप
V. पर्यटन/सीमान्त पर्यटन को बढावा।
VI. जैविक कृषि को बढावा हेतु तकनीकी कियाकलापों में सहयोग।
VII. ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना ।

9.2 ऐसे अभिनव प्रयास/नवाचार/विशेष योजनायें जो सीमान्त क्षेत्रों में आजीविका विकास तथा पलायन रोकने में सक्षम हो यद्यपि राज्य स्तरीय स्कीनिंग कमेटी से अनुमोदनोपरांत ही ऐसी योजनाओं को अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

9.3 ऐसे महत्वपूर्ण घटक जो सीमान्त क्षेत्र विशेष के विकास के दृष्टिगत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी समय–समय पर समीक्षा उपरांत आवश्यक समझे, उन्हे मार्गनिर्देश में समिति के अनुमोदनोपरांत सम्मिलित किया जा सकेगा तथा ऐसे अनुमोदित कियाकलापों का कियान्वयन अनुमन्य होगा।

9.4 व्यक्तिगत प्रकृति के कार्यो के मामले में मार्गनिर्देश के बिन्दु सं0 3.18 के अनुसार स्वीकृत कार्य ही अनुमन्य होंगे।

9.5 मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित बी0ए0डी0पी0 योजना के इतर भी कुछ कार्य चिन्हित किये गये है जो केन्द्र की बी0ए0डी0पी0 योजना में भी सम्मिलित किये जा सकेंगे परन्तु, उक्त दोनों योजनाओं में दोहराव (Duplicacy) नहीं होगा।

10. भारत सरकार की बी0ए0डी0पी0 योजना में अनुमन्य कार्यों में समय–समय पर जारी किये गये संशोधन, इस योजना पर भी लागू होंगे।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

अनुलग्नक-I

सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुमत कार्यों/परियोजनाओं की निदर्शी सूची

(क) **सड़कें और पुल**

(i) सड़कों का निर्माण और उन्नयन।
(ii) पुलों और पुलियों का निर्माण।
(iii) फुट सस्पेंशन पुलों का निर्माण।
(iv) पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों की सुरक्षा के लिए रिटेनिंग दीवारों का निर्माण।

(ख) **स्वास्थ्य अवसंरचना**

(i) सीमावर्ती जनगणना गांवों/बस्तियों में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगे सरकारी चिकित्सकों, पैरामेडिक्स, और अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण।
(ii) आधारभूत अवसंरचना (एसएचसी/पीएचसी/सीएचसी) का निर्माण और उन्नयन।
(iii) सरकारी मोबाइल डिस्पेंसरियोंकी स्थापना/ एंबुलेंस की खरीद।
(iv) सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद।

(ग) **शिक्षा अवसंरचना**

(i) शिक्षा क्षेत्र में लगे सरकारी शिक्षकों और अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण।
(ii) प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण और उनके उन्नयन/विस्तार जैसे अतिरिक्त कक्षाओं, कंप्यूटर कक्षों और प्रयोगशालाओं का निर्माण।
(iii) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रावासों/शयनागारों का निर्माण।

(घ) **कृषि अवसंरचना**

(i) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण।
(ii) जल संरक्षण कार्यक्रम।

(ङ) **खेल अवसंरचना**

(i) खेल मैदानों का निर्माण/विकास।
(ii) मिनी स्टेडियम का निर्माण।
(iii) टेबल टेनिस/बैडमिंटन/बास्केटबॉल/हैंडबॉल के लिए इंडोर कोर्ट का निर्माण।

(च) **डीडब्ल्यूएस परियोजनाएं**

(i) सरकारी स्कूलों/जनगणना गांवों/जनगणना कस्बों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं।

(छ) **सामाजिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचा**

(i) आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण।
(ii) सामुदायिक केंद्र का निर्माण।

(ज) **मॉडल गांवों का विकास**

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार, हब और स्पोक मॉडल के आधार पर गांव में कई अवसंरचना विकास कार्य/परियोजनाएं शुरू कर सकती है।

(झ) **लघु स्तरीय उद्योगों के लिए अवसंरचना का निर्माण।**

(ञ) **बीएडीएस के तहत सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव।**

(ट) **प्रशासनिक व्यय**

बीएडीएस के अंतर्गत प्रस्तावित प्रत्येक कार्य/परियोजना के प्राक्कलनों की जांच की जानी चाहिए तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में सक्षम तकनीकी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और प्रत्येक कार्य/परियोजना के लिए उपयुक्त तकनीकी प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 'लागत का सार' वार्षिक कार्य योजना के साथ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

*****